न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 81/2023 निर्णय दिनांकः 26.03.2024

ऑनलाईन नंबरः 2023/158

उतम कुमार पुत्र चांदरतन जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

2. घनश्याम पुत्र सुशील कुमार जाति माहेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— गौण अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री बृजलाल बारोटिया अप्रार्थी संख्या 02

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 2 घनश्याम की संयुक्त खोतदारी का खेत खसरा नम्बर 271 तादादी 0.2800 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इस भूमि पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत की पैमाईश प्रार्थी के निवेदन पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.09.2017 को की गई। पैमाईश कर्ता पटवारी ने खेत खसरा नम्बर 271 की पैमाईश की गई, जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 271 की 0.2800 हैक्टेयर भूमि में से 960 वर्गमीटर भूमि खसरा नम्बर 271 में पाई गई तथा शेष भूमि में से 1632 वर्गमीटर खसरा नम्बर 272 में दबी पाई गई तथा 208 वर्गमीटर भूमि खसरा नम्बर 275 में दबी पाई गई। पैमाईश कर्ता ने मौके पर पैमाईश की परन्तु मौके पर निशानदेही देकर पत्थरगढ़ी नहीं करवाई, मौके पर निशानदेही देकर पत्थरगढ़ी नहीं करवाने से प्रार्थी के खेत की सीमा निर्धारित नहीं हो पाई, जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमा का समुचित ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। पैमाईश कर्ता द्वारा मौके पर पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर मौके पर निशानदेही देकर पत्थरगढ़ी करवानी थी, परन्तु पैमाईश टीम ने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी लगातार अप्रार्थी से पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार मौके पर निशानदेही कायम कर पत्थरगढ़ी करवाने का निवदेन करता रहा, परन्तु अप्रार्थी हमेशा प्रार्थी के निवदेन को टालता रहा है। अब दिनांक 17.03.2023 को अप्रार्थी ने स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुये कह दिया कि पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने हेतु न्यायालय से आदेश करवाना होगा तभी हम पत्थरगढ़ी करेगे तब प्रार्थी को मजबूरन न्यायालय की शरण में आना पड़ा। यह है कि पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थी के खेत की वास्तविक सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थी अपने पड़ौसियो को यह नहीं बता रहा है कि उसके खेत खसरा नम्बर 271 की सीमा कहा तक है। पत्थरगढ़ी के अभाव में सीमा निर्धारण नहीं होने से प्रार्थी अपने खेत की तारबन्दी, बाड़ नहीं कर पा रहा है। ना ही अपनी संयुक्त खातेदारी का ... करवा पा रहा है। तारबन्दी, बाड़ आदि नहीं होने से आवारा पशु प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश दिया जावे कि वह प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 271 तादादी 0.2800 हैक्टेयर रोही बेनीसर की पत्थरगढ़ी मौक पर करवाये।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित व अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आपति नहीं होना अंकित किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजपैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 271 तादादी 0.2800 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested